

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9513

दिनांक - 05.12.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 विक्रम कुमार पुत्र सम्पतराज जाति सोनी निवासी डीगडा तहसील व जिला बाड़मेर हाल निवासी जुना किराडू मार्ग बाड़मेर

1 शम्भुसिंह 2 मेहताबसिंह 3 पूर्णसिंह पिसरान उम्मेदसिंह 4 अर्जुनसिंह पुत्र भूरसिंह जातियान राजपूत 5 सुरेश कुमार पुत्र शंकरलाल 6 पुरुषोत्तम पुत्र धनराज 7 भूरचन्द पुत्र नेमीचन्द 8 जगदीश पुत्र तेजमल जाति जैन निवासी डीगडा, आटी 9 कंवरी देवी पत्नि उदयसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी नाथूसिंह का बंधा रोहिडा पाडा बाड़मेर 10 सरूपाराम पुत्र धूडाराम 11 चंदा पत्नि प्रवीण कुमार 12 केवलाराम पुत्र धूडाराम जाति रावणा राजपूत निवासी डीगडा 13 पुरखसिंह पुत्र धूडसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी रोहिडा पाडा बाड़मेर 14 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 414/2025

दिनांक-26/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डीगडा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 841/252 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 05.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9514 - 9517

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी विक्रम कुमार पुत्र सम्पतराज जाति सोनी निवासी डीगडा तहसील व जिला बाड़मेर हाल निवासी जुना किराडू मार्ग बाड़मेर।
4. विप्रार्थी शम्भुसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जातियान राजपूत डीगडा तहसील व जिला बाड़मेर हाल निवासी जुना किराडू मार्ग बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर